राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–102/2025

दीपक कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बाल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 12.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय से क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई हैं, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी को इसलिए पदोन्नति नहीं दी गई है, क्योंकि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन अवधि 2018–19 में प्रतिकूल टिप्पणियां अंकित थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की उक्त प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित किये जाने हेतु उप वन संरक्षक (विकास), कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) को पत्र प्रेषित किया जा चुका है और प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित करने के लिये अनुशंषा की गयी है। उक्त अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2018–19 पर अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। चूंकि अपीलार्थी की प्रतिकूल टिप्प्णियों को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की

सीमित प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 24.12.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी ने जो अभ्यावेदन अपनी प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में दिनांक 24.12.2024 को प्रधान मूख्य वन संरक्षक (HOFF) को प्रस्तुत किया है, उसका निस्तारण सक्षम अधिकारी कर अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2018–19 में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय पारित करे। यदि अपीलार्थी की प्रतिकूल टिप्पणियों को विलोपित किये जाने का अंतिम निर्णय पारित किया जाता है तो अपीलार्थी की पदोन्नति के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी नियमानुसार की जाए।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)